

भारतीय कसान दशा और दिशा

प्रा. लोमेश्वर रामचंद्रराव घागरे

समाजशास्त्र विभाग - प्रमुख

आर. बी. व्यास कला / वाणज्य महा विद्यालय,

कोंढाळी, जिल्हा. नागपूर.

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि हमारे आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम रहा है। भारत के लोग कृषि को उत्सव के रूप में मनाते रहे हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा के दायित्व का निर्वाहन, जिसमें वृक्ष, नदी, पहाड़, पशुधन, जीव जंतु की रक्षा की जिम्मेदारी निभाना, जीवन के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य का हीसा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है।

कसान उसे कहते हैं, जिसकी अपनी जमीन होती है। या जो हल जोतते हैं। धनी कसान वे कसान हैं, जो ग्रामीण गृहस्थ उत्पादन के साधन रखते हैं। वह भूमि पर स्वयं श्रम करता है। वह खेती से अधिकांश आय प्राप्त करता है। मध्यम कसान पं की अथवा निजी भूमि रखता है। उस पर स्वयं या उसके परिवार तथा श्रमिक खेती करते हैं। साधारण वर्षों में वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फसल की बुरी हालत में वह अस्थायी रूप से ऋणग्रस्त हो जाता है। छोटा कसान पा या फर निजी भूमि रखता है। इससे उसकी मुख्य आय होती है। यह श्रमिक नहीं लगता वह स्वयं मजदूरी करता है। खेतीहर मजदूर के पास न तो भूमि ही रहती है न ही उपकरण व कृषि या कृषिगत कार्य में श्रम बेचकर जीवनयापन करता है। देश में 90 प्रतिशत से अधिक कसान छोटे या सीमांत कसान हैं। इनके खेतों की जोत 5 एकड़ से भी कम है।

कसानों और खेती पर संकट -

आज देश में खेती का योगदान कुल अर्थव्यवस्था के 14 प्रतिशत के लगभग होने पर भी इससे करीब 60 प्रतिशत लोगों को रोजगार मल रहा, लेकिन भारत में तक खेती और कसान

को अर्थनीती में जितना महत्व मलना चाहिए था, वह नहीं मल पाता है। भारत की रचना ऐसी है क जब तक खेती संकट से नहीं निकलेगी कसान खुशहाल नहीं हो सकता। यहां खेत की औसत आकार 1.15 हेक्टर है, जो काफी छोटा है। यह आकार 1970-71 से लगातार घट रहा है। लघु और सीमांत भू-स्वामीत्व का 72 प्रतिशत है। छोटी कास्तकारी की प्रधानता कृषी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक कफायत की राह में मुख्य बाधा है। इसके अतिरिक्त छोटे और सीमांत कसानों के पास मूलभाव की शक्ति कम है क्योंकि उसके पास वक्री योग्य अधशेष कम होता है और वे बाजार की कीमत स्वीकार करने वाले होते हैं। बड़े पैमाने पर कृषी के लाभ के लये लघु क्षेत्र वाले कसानों की बहुलता एक बड़ी चुनौती है।

भारत की 60 प्रतिशत खेती बारिश पर आधारित है। केवल 40 प्रतिशत खेती के लए संचाई के साधन उपलब्ध है। काफी समय से फसलों के सही दाम की मांग की जा रही है। कसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मलना चाहिए। इसी आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) प्रणाली शुद्ध की गयी थी। पहले केवल गेहूँ और धान के लए यह व्यवस्था की गई, वर्ष 1986 में 22 जिलों के लए लागू कया गया।

पंजाब, हरियाणा, पूर्वी व उत्तरी राजस्थान, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश आदी को छोड़कर कहीं भी एम. एस. पी. पर फसल खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण कसान साल भर मेहनत करके फसले तयार करता है ले कन उसे लागत भी नहीं मल पाती, जबकी बिचें लए मोठा लाभ कमा रही है। ले कन इसमें भी अनेक खामियाँ हैं। जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इन खामियों को दूर करने के लये कसान आयोग का गठन कया गया था। फल एवं मौसमी सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होता। जिन फसलों का एम एस पी निर्धारित होता है, वह भी कसानों को नहीं मलता है।

संघर्ष भरा कृषक जीवन

हमारी कृषी आबादी में प्रत्येक वर्ष 1.84 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। औसत जोत आकार प्रत्येक वर्ष छोटा होता जा रहा है। खेती की लागत जो खम प्रतिफल पद्धति प्रतिकूल होती जा रही है। उसका परिणाम हुआ की, कसान अधकाधक ऋणी होते जा रहा है। आजादी के बाद और उदारीकरण, औद्योगीकरण, एवं अन्य आर्थिक सामाजिक सुधारों के माध्यम से उद्योगों का कायाकल्प हुआ और उद्योगोंको घाटे से उभारने के लये करोड़ों रुपये की सरकारी राहत दी

जाती रही है, लेकिन जब कृषि क्षेत्र की बात आती है, किसानों के कर्ज की बात आती है तो इतनी कम राशी दी जाती है, उससे किसानों को लाभ तो नहीं होता है, हा उनका मखौल जरूर मजाक जरूर उड़ाया जाता है।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

सरकार समय समय पर किसानों और कृषि की उन्नति के लिये अनेक योजनाएँ आगे बना रही है तथा उन्हें कार्यान्वित कर रही है।

राष्ट्रीय किसान नीति 2007 - बनाई गई है। इस नीति के तहत अन्य बातों के साथ किये गये उपबंधों में भूमि, जल, पशुपालन, मत्स्यपालन और जैव संसाधनों में परिसंपत्तीगत सुधार, समर्थन सेवाएँ और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग जैसे- आदानो, कृषि जैव सुरक्षा, प्रणालीयों, उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों और रोग मुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति, मुद्रा, उर्वरकता और उसके स्वास्थ्य में सुधार, समेकित कट प्रबंधन प्रणालियाँ, बालगृह, बाल परिचर्या केन्द्र, पोषक तत्व, स्वास्थ्य और संबंधित प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के लिए समर्थन सेवा, उचित व्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सामायिक, पर्याप्त और सुलभ उपलब्धता, किसान अनुकूल बीमा उपकरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषिगत वस्तुओं का पुनरुद्धार करने के लिए किसान स्कुलो की स्थापना, देशभर में एम एस पी का प्रभावी कार्यान्वयन, कृषि बाजार अवसंरचना का विकास, किसान परिवारों के लिए गैर कृषिगत ग्रामीण रोजगार पहल तथा ग्रामीण ऊर्जा आदी के लिए समेकित प्रयास शामिल हैं।

किसानों की स्थिति सुधारण हेतु सुझाव -

आज भारतीय किसान परावलंबी हो गया है। उसे बीज के लिये उर्वरक के लिये, जुताई के लिए और बिक्री के लिये दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे खेती की लागत बढ़ती जा रही है। छोटे किसानों को खेती करना जहाँ असंभव सा हो गया है। इस लिये भारत के किसान और खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर से बने इसके लिए आवश्यकता है कि किसानों को पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिए, उन्हें कम ब्याज पर समय पर ऋण मुहैया करना चाहिए, फसल नष्ट होने पर बीमा या अन्य स्रोतों से उचित मुद्रावजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही संचाई की व्यवस्था समय पर और उचित कमतर पर उर्वरक की उपलब्धता हासिल होनी चाहिए।

संदर्भसूची

- 1) सामाजिक समस्याएं - राम आहुजा
- 2) भारतीय सामाजिक समस्याएं - डॉ. मंजुलता छिल्लर
- 3) सामाजिक समस्याएं - डॉ. संजय साळीवकर
- 4) भारतीय सामाजिक समस्या - प्रा. अशोक गोटे
- 5) समकालीन भारतीय सामाजिक समस्या - डॉ. कालदास भांगे व प्रा. चांगदेव मुंडे